...ालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

3/36/22 .... तारीख रजू..........

हरेन्द्र सिंह बनाम राजस्थान सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/5/22	वकील प्रार्थी उपस्थित आज यह प्रार्थना पत्र 136 LRA प्रार्थी के वकील श्री देवेन्द्र सिंह नरुका ... ने पेश की कार्यालय रिपोर्ट ली ... दर्ज रजिस्टर हो अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थी दिनांक 27/5/22 को पेश हो। SDM	
27/5/22	वकील प्रार्थी उपस्थित आज ... दिनांक ... को पालना में पत्र ... तलबी दिनांक 10/6/22 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
10/6/22	... उप०/P.O. वाहक ... ... दिनांक 12/8/22 को पेश हो।	
12/8/22	... उप०/P.O. ... लोकायतन ... ... दिनांक 7/10/22 को पेश हो।	
7/10/22	वकील प्रार्थी उप० प्रतिवादी/अप्रार्थी ... ... 340 नहीं उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है पत्रावली वास्ते ... दिनांक 14/10/22 को पेश हो। SDM	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तारीख
14/10/22	वकील प्रार्थी उपस्थित सामिक आदेश दिनांक .... की पालना में पत्रा. पी आसी ..... पेश दिनांक ..... 4/11/22 ..... को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
4/11/22	वकील प्रार्थी / पीठासीन अधिकारी उपस्थित। पत्रावली पर बहस बकुलाय। पीठासीन ... नहीं आने आदेश हेतु 18/11/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	
18/11/22	वकील प्रार्थी / पीठासीन उपस्थित। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखाया जाकर ... पत्रावली ... शुमार होकर ... बाद तकमील जिला ... में भेजा सुनाया। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	

न्यायालय उपखण्डअधिकारीकठूमर (अलवर)

पीठासीनअधिकारीश्रीलाखनसिंहगुर्जरआर ए एस

राजस्वप्रार्थनापत्र संख्या 03 / 36 / 2022

वउनवान

1. हरेन्द्र सिंह पुत्र गिर्राज सिंह जाति राजपूत निवासी सिटाहेडा तहसील कठूमर जिला अलवर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहव कठूमर जिला अलवर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यु एक्ट

उपस्थित

श्रीदेवेन्द्रसिंह नरूका

श्री श्यामसिंह चौहान एडवोकेट–अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

पैरोकार सरकार–अप्रार्थी की ओर से

आदेश दिनांक 18.11.2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तूत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि 1516 रकवा 0.43 हे. 1518 रकवा 0.67 हे. 1515 रकवा 0.49 हे. 1517 रकवा 0.01 हे. ग्राम सिटाहेडा तहसील कठूमर में स्थित है।उक्त आराजी में प्रार्थी का 1/32 हिस्सा है शेष हिस्सा अन्य साझी दारान का है। प्रार्थी अपने हिस्से की आराजी पर काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा मौके पर कब्जे काश्त में है। प्रार्थी बालिग हो चुका है लेकिन राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी को नाबालिग दर्ज किया हुआ है।प्रार्थी को बालिग दर्ज किया जावे । प्रार्थी का सही नाम हरेन्द्र सिंह पुत्र गिर्राजसिंह है लेकिन राजस्व कर्मचारियान ने खिलाफ कानून व खिलाफ मौका विधि विरूद्व तरीके से प्रार्थी का नाम उक्त आराजी पर हरेन्द्र सिंह के स्थान पर देवी सिंह पुत्र गिर्राज सिंह गलत अंकित कर रखा है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

हाल राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज है। उक्त आराजी प्रार्थी के पिता ने विक्रेता किशोरी से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 14.05.1992 कोप्रार्थी व प्रार्थी के भाईवीरेन्द्रसिंह के नाम खरीद की थी उस समय प्रार्थीनाबालिगथा।प्रार्थी के पिता ने वयनामा लिखाते समय प्रार्थी का घर के नाम से हरेन्द्र सिंह के स्थान पर देवी सिंह लिखा दिया। इस वयनामा के आधार पर इन्तकाल दर्ज करते समय राजस्व रेकार्ड में भी हरेन्द्रसिंह के स्थान पर देवी सिह अंकित कर दिया जो गलत है प्रार्थी का नाम देवीसिह नही है। प्रार्थी का नाम हाल राजस्व रेकार्ड मेंहरेन्द्र सिंह के स्थान पर देवी सिंह दर्ज रहने से प्रार्थी के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है।अपनी आराजी को रहन वय नहीं कर पा रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी तथा उसके अधिनस्थ कर्मचारियों से उक्त आराजी पर प्रार्थी का नाम शुद्व कराने वावत कहा तो अप्रार्थी व उसके अधिनस्थ कर्मचारियान ने मना कर दिया। अतः प्रार्थी ने आराजी खसरा नम्बर 1516, 1518, 1515, 1517 वाके ग्राम सिटाहेडा तहसील कठूमर पर प्रार्थी का नाम देवी सिंह के स्थान पर हरेन्द्र सिंह पुत्र गिर्राज सिंह दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को बास्ते तलवी नाटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया। रजिस्टर्ड डाक से नोटिस बास्ते तलवी भिजवाने पर भी अप्रार्थी हाजिर अदालत नहीं आया इस वजह से अप्रार्थी की दिनाक 07.10.2022 को एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र की ताइद में नकल सत्य प्रतिलिपी जमाबन्दी वाके ग्राम सिटाहेडा, वयनामा, आधारकार्ड, पहचानपत्र, ड्राइवरी लाइसेंस, राशनकार्ड, व मूल निवास की छायाप्रति पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में स्वंय प्रार्थी हरेन्द्र सिंह का शपथपत्र बतौर गवाह पेश किया है। जो शामिल पत्रावली है।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षिय वहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड पत्रादि का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी मे प्रार्थी का नाम देवीसिंह के

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

स्थान पर हरेन्द्र सिंह दुरूस्त किया जावे। प्रार्थी का नाम देवी सिंह ना होकर हरेन्द्रसिंह हे जो प्रार्थी द्वारा पेश किये गये दस्ता वेज से प्रमाणित है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत प्रार्थी के शपथपत्र राजस्व रेकार्ड, वयनामा पत्रादिका अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षिय वहस पर मनन करने पर यह पाया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी में प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पर प्रार्थी का नाम नाबालिग देवी सिंह पुत्र गिर्राज सिंह दर्ज है जवकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राशनकार्ड, आधार कार्ड पहचान पत्र डी एल मूल निवास प्रमाण पत्र में प्रार्थी का नाम हरेन्द्रसिंहपुत्र गिर्राज सिंह दर्ज है। प्रार्थी ने अपने शपथ पत्र में भी अपना नाम देवीसिंह न होकर हरेन्द्र सिंह हो ना कथन किया है। अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी वावत प्रार्थी के नाम हुये रजिस्टर्ड वयनामा में प्रार्थी का नाम सहवन से हरेन्द्र सिंह के स्थान पर देवी सिंह लिखा जाना सावित है।राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी नाबालिग दर्ज है जवकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रार्थी बालिग हो चुका है।अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सावित होने से स्वीकार योग्य पाया जाताहै।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फर्माया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1516, 1518, 1515, 1517 वाके ग्राम सिटाहेडा तहसील कठूमर पर प्रार्थी को नाबालिग से बालिग तथा प्रार्थी का नाम देवीसिंह पुत्र गिर्राजसिंह के स्थान पर हरेन्द्र सिह पुत्र गिर्राज सिंह दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेशहै कि वो उक्तानुसार हाल जमाबन्दी में संशोधित इन्द्राज करे। आदेश की प्रति तहसीलदार कठूमर को बास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तार हो।

लाखन सिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
कठूमर (अलवर) राज.

अतः यह आदेश आज दिनांक18.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लाखन सिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
कठूमर (अलवर) राज.